

暴力及CLEIC

Hindi 印度語

अपराधी कार्यों तथा कानून प्रवर्तन द्वारा लगे घावों प्रति क्षतिपूर्ति (सी.एल.ई.आई.सी.) की योजना

हिंसात्मक अपराध, अथवा कर्तव्य-पालन में किसी हथियार चलाने वाले कानून प्रवर्तक अधिकारी के हाथों पीड़ित निर्दोष व्यक्तियों (अथवा मृत्यु होने की परिस्थिति में, उन पर आश्रित व्यक्तियों) को आर्थिक सहयोग देती है।

Criminal and Law Enforcement Injuries Compensation Scheme

Provides financial assistance to innocent victims (or to their dependants in cases of death) who are injured as a result of crime of violence, or by a law enforcement officer using weapon in the execution of his duties.

執法傷亡賠償

June 2010



社會福利署

Social Welfare Department

उद्देश्य

हिंसात्मक अपराध, अथवा कर्तव्य-पालन में किसी हथियार चलाने वाले कानून प्रवर्तक अधिकारी के हाथों पीड़ित हुए निर्दोष व्यक्तियों (अथवा मृत्यु होने की परिस्थिति में, उन पर आश्रित व्यक्तियों) को आर्थिक सहयोग देना इस योजना का उद्देश्य है। यह योजना चन्दा देने या परिवार की आर्थिक अवस्था के मूल्यांकन पर आधारित नहीं है।

इस योजना में आपराधिक हिंसा से हुए घावों के लिए क्षतिपूर्ति तथा कानून प्रवर्तन में हुए घावों के लिए क्षतिपूर्ति समावेश हैं, तथा इस का संचालन क्रमशः क्रिमिनल इन्जुरीज़ कम्पेन्सेशन बोर्ड (Criminal Injuries Compensation Board) तथा लॉ एन्फोर्समेंट इन्जुरीज़ कम्पेन्सेशन बोर्ड (Law Enforcement Injuries Compensation Board) द्वारा होता है। इन बोर्डों के अध्यक्ष तथा सदस्य मुख्य कार्यपालक (Chief Executive) नियुक्त करते हैं। सचिवालय (Secretariat) (अर्थात् CLEIC शाखा) के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने, मूल्यांकन करने तथा क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रबन्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग (सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेन्ट/SWD) उत्तरदायी है।

पात्रता का मानदंड

आपराधिक हिंसा से हुए घावों के लिए क्षतिपूर्ति

हांगकांग में निम्नलिखित कारणों से घाव लगे अथवा मृत्यु हो, तो क्षतिपूर्ति माँगी जा सकती है :

- हिंसात्मक अपराध से (इस में आगजनी तथा विषाक्तता शामिल हैं);
- किसी दोषी अथवा संदेहास्पद दोषी की गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तारी के प्रयास से;
- किसी अपराध के निवारण अथवा निवारण के प्रयास से; तथा
- किसी दोषी अथवा संदेहास्पद दोषी की गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तारी के प्रयास में संलग्न, अथवा किसी अपराध के निवारण अथवा निवारण के प्रयास में संलग्न किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति को सहयोग देने से।

किसी पीड़ित व्यक्ति को जानबूझ कर टक्कर मारने के प्रयास को छोड़, यातायात संबंधी अपराध इस योजना से बाहर हैं।

क्रिमिनल इन्जुरीज़ कम्पेन्सेशन बोर्ड (Criminal Injuries Compensation Board) केवल उन आवेदनों पर विचार करेगा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :

- पीड़ित उस घटना के कारण मर गया; अथवा जो घाव लगा उस के कारण कम से कम तीन दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा अथवा रुग्णतावकाश लेना पड़ा, जिसे किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/पंजीकृत चीनी चिकित्सा व्यवसायी ने प्रमाणित किया है;
- घाव लगने अथवा मृत्यु होने की अवस्था की सूचना बिना किसी अनुचित विलंब पुलिस को दी गयी हो अथवा वह अवस्था आपराधिक कार्रवाई के अधीन रही है;
- आवेदक ने बोर्ड को सभी संबंधित जानकारी दी है तथा उचित सहयोग दिया है, विशेषतः उस के लिए आवश्यक कोई भी संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट दिए हैं;
- क्षतिपूर्ति की माँग घटना की तिथि से तीन वर्ष के अंदर (नोट देखें) की गयी। जहाँ पहली बार की गयी क्षतिपूर्ति की माँग को स्वयं वापस लेने अथवा सम्पर्क टूटने के कारण बंद किया गया, आवेदक ने दूसरी अथवा पश्चात्-कालिक माँग या तो घटना की तिथि से तीन वर्ष के अंदर या क्षतिपूर्ति की माँग को स्वयं वापस लेने अथवा सम्पर्क टूटने की तिथि के एक वर्ष में (नोट देखें), जो भी बाद का समय हो, दी है; तथा
- पीड़ित को हांगकांग में रहने का अधिकार है अथवा उसे आप्रवास अध्यादेश, शीर्षक 115 (Immigration Ordinance, Cap 115) के अंतर्गत हांगकांग में रहने की अनुमति है, तथा घटना होने के समय हांगकांग में रहने की लागू समयावधि (यदि समयावधि हो तो) का उल्लंघन नहीं हुआ है।

जहाँ घटना के समय पीड़ित तथा दोषी एक साथ एक ही परिवार के रूप में रहते थे, क्षतिपूर्ति केवल विशेष परिस्थिति में देय होगी।

(नोट : तीन वर्ष अथवा एक वर्ष की अवधि का हिसाब करने में घटना होने, अथवा माँग को स्वयं वापस लेने, अथवा सम्पर्क टूटने के दिन को नहीं गिना जाता है। यदि उस अवधि का अंतिम दिन शनिवार, सार्वजनिक अवकाश, अथवा ऐसा दिन हो, जिस दिन 8 नंबर या उस से बड़े तूफान या भयंकर वर्षा (Black Rainstorm) का चेतावनी-सिगनल दिया गया हो, तो उस अवधि में अगला कामकाज का सामान्य दिन शामिल रहेगा।)

कानून प्रवर्तक अधिकारी के हाथों घायल हुए व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति

किसी कानून प्रवर्तक (अर्थात् किसी पुलिस अधिकारी अथवा इयूटी पर किसी अन्य अधिकारी) के निम्नलिखित संबंध में कर्तव्य-पालन के दौरान कोई हथियार चलाने के कारण हांगकांग में कोई घाव लग जाए, अथवा मृत्यु हो, तो क्षतिपूर्ति माँगी जा सकती है :

- किसी दोषी अथवा संदेहास्पद दोषी की गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तारी के प्रयास से;
- किसी अपराध के निवारण अथवा निवारण के प्रयास से; तथा
- किसी दोषी अथवा संदेहास्पद दोषी की गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तारी के प्रयास में संलग्न, अथवा किसी अपराध के निवारण अथवा निवारण के प्रयास में संलग्न किसी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति को सहयोग देने से।

लॉ एन्फोर्समेंट इन्जुरीज़ कम्पेन्सेशन बोर्ड (Law Enforcement Injuries Compensation Board) केवल उन आवेदनों पर विचार करे गा जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :

- पीड़ित उस घटना के कारण मर गया; अथवा जो घाव लगा उस के कारण कम से कम तीन दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा अथवा रुग्णतावकाश लेना पड़ा, जिसे किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/पंजीकृत चीनी चिकित्सा व्यवसायी ने प्रमाणित किया है;
- घाव लगने अथवा मृत्यु होने की अवस्था की सूचना, बिना किसी अनुचित विलंब, पुलिस को दी गयी;
- आवेदक ने बोर्ड को सभी संबंधित जानकारी दी है तथा उचित सहयोग दिया है, विशेषतः उस के लिए आवश्यक कोई भी संबंधित चिकित्सकीय रिपोर्ट दिए हैं;
- क्षतिपूर्ति की माँग घटना की तिथि से तीन वर्ष के अंदर (नोट देखें) की गयी। जहाँ पहली बार की गयी क्षतिपूर्ति की माँग को स्वयं वापस लेने अथवा सम्पर्क टूटने के कारण बंद किया गया, आवेदक ने दूसरी अथवा पश्चात्-कालिक माँग या तो घटना की तिथि से तीन वर्ष के अंदर या क्षतिपूर्ति की माँग को स्वयं वापस लेने अथवा सम्पर्क टूटने की तिथि के एक वर्ष में (नोट देखें), जो भी बाद का समय हो, दी है;
- पीड़ित को हांगकांग में रहने का अधिकार है अथवा उसे आप्रवास अध्यादेश, शीर्षक 115 (Immigration Ordinance, Cap 115) के अंतर्गत हांगकांग में रहने की अनुमति है, तथा घटना होने के समय हांगकांग में रहने की लागू समयवधि (यदि समयवधि हो तो) का उल्लंघन नहीं हुआ है; तथा
- यदि पीड़ित कानून प्रवर्तक अधिकारी के हाथों मारा गया, तो आवेदक को घातक दुर्घटना अध्यादेश शीर्षक 22 (Fatal Accidents Ordinance, Cap 22) के अंतर्गत आश्रित माना जाता हो (यदि इस परिभाषा के अंतर्गत वह आश्रित न हो, उस के आवेदन पर क्रिमिनल इन्जुरीज़ कम्पेन्सेशन बोर्ड विचार करे गा।)

(नोट : तीन वर्ष अथवा एक वर्ष की अवधि का हिसाब करने में घटना होने, अथवा माँग को स्वयं वापस लेने, अथवा सम्पर्क टूटने के दिन को नहीं गिना जाता है। यदि उस अवधि का अंतिम दिन शनिवार, सार्वजनिक अवकाश, अथवा ऐसा दिन हो, जिस दिन 8 नंबर या उस से बड़े तूफान या भयंकर वर्षा (Black Rainstorm) का चेतावनी-सिगनल दिया गया हो, तो उस अवधि में अगला कामकाज का सामान्य दिन शामिल रहे गा।)

आवेदन देने की विधि

आवेदन प्रपत्र पुलिस स्टेशनों, गृह प्रशासन विभाग के ज़िला कार्यालयों (District Offices of the Home Affairs Department), अथवा चिकित्सकीय समाज सेवा इकाइयों (Medical Social Services Units), समाज सुरक्षा क्षेत्र इकाइयों (Social Security Field Units), तथा समाज कल्याण विभाग (SWD) की सी.एल.ई.आई.सी. (CLEIC) शाखा पर उपलब्ध हैं। पूरे किए हुए प्रपत्र सी.एल.ई.आई.सी को डाक द्वारा अथवा दस्ती सुपुर्द किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से उन्हें उस शाखा के पास फेक्स अथवा ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

सी.एल.ई.आई.सी. (CLEIC) शाखा

पता : Room 703, 7/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong.

फेक्स नंबर : 2575 7938

ईमेल पता : cleicenq@swd.gov.hk

आवेदन प्रपत्रों को समाज कल्याण विभाग (SWD) के होमपेज <http://www.swd.gov.hk> से डाउनलोड किया जा सकता है।

किसी आवेदन पर कार्रवाई की विधि

पीड़ित अथवा आवेदक द्वारा व्यक्त की हुई आपराधिक घटना की जहाँ पुलिस ने पुष्टि की हो, आवेदन को आगे बढ़ाया जाए गा। उपयुक्त बोर्ड के आवेदन पर विचार करने से पूर्व, बोर्ड का सचिवालय बोर्ड के विचार के लिए मामले के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी माँगे गा, जिस में घटना के विषय में तथ्य तथा पीड़ित के बारे में चिकित्सा एवं सामाजिक जानकारी शामिल हैं। बोर्ड के निर्णय के बारे में सचिवालय आवेदक को लिखित रूप में सूचित करे गा।

बोर्डों की स्वनिर्णयगत शक्ति

उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर बोर्ड यह निर्णय लेंगे कि आवेदन को स्वीकार किया जाए या नहीं। इस के अतिरिक्त, मामले की परिस्थिति के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाने अथवा घटाने, अथवा आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।

इस योजना के बाहर से प्राप्त हुई क्षतिपूर्ति

"कोई दोगुनी क्षतिपूर्ति नहीं" के सिद्धान्त अंतर्गत यदि कोई आवेदक एक ही घटना के लिए हरजाना अथवा अन्य क्षतिपूर्ति (कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के समेत) पाता है, बोर्ड इस योजना के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति से उस हरजाने अथवा क्षतिपूर्ति की राशि को काट लेंगे। इस के अतिरिक्त, जो लाभान्वित व्यक्ति इस योजना के बाहर एक ही घटना के लिए हरजाना अथवा अन्य क्षतिपूर्ति बाद में पायेंगे, उन्हें इस योजना से प्राप्त हुई राशि लौटानी हो गी, परंतु किसी भी सूरत में, जो राशि लौटानी पड़े गी वह योजना से बाहर प्राप्त रकम से अधिक नहीं हो गी। इस के अतिरिक्त, "सभ्य आचरण" के आवेदकों को बोर्डों के अधिकार से दी गयी कोई भी बढ़ाई हुई रकम नहीं लौटानी पड़े गी।

Objective

The aim of this scheme is to provide financial assistance to persons (or to their dependants in cases of death) who are injured as a result of a crime of violence, or by a law enforcement officer using weapon in the execution of his duty. The scheme is non-contributory and non-means tested.

This scheme comprises criminal injuries compensation and law enforcement injuries compensation and is administered by the Criminal Injuries Compensation Board and the Law Enforcement Injuries Compensation Board respectively. The Chairman and members of the Boards are appointed by the Chief Executive. SWD is responsible for providing staff for the Secretariat (i.e. the CLEIC Section), preparing assessments and arranging payment of compensation.

Eligibility Criteria

Criminal Injuries Compensation

Compensation may be claimed for any injury or death sustained in Hong Kong arising from:

- a crime of violence (including arson and poisoning);
- an arrest or attempted arrest of an offender or suspected offender;
- the prevention or attempted prevention of an offence; and
- the giving of help to any police officer or other person who is engaged in arresting or attempting to arrest an offender or suspected offender or preventing or attempting to prevent an offence.

Traffic offences are excluded from this scheme except where there has been deliberate attempt to run the victim down.

The Criminal Injuries Compensation Board will only consider applications which satisfy the following conditions:

- the victim died from the incident; or the injury inflicted gave rise to at least three days' hospitalization or sick leave as certified by a registered medical practitioner/registered Chinese medicine practitioner;
- the circumstances of the injury or death were reported to the police without unreasonable delay, or had been the subject of criminal proceedings;
- the applicant has given the Board all related information and reasonable assistance, particularly in relation to any medical reports which it may require;
- the claim for compensation has been made within three years (see note) of the date of the incident. Where the case of the first claim for compensation was closed due to self-withdrawal or lost contact, the applicant has made the second or subsequent claim either within three years of the date of the incident or within a year (see note) of the date of self-withdrawal or lost contact, whichever is later; and

- the victim is a person having the right to stay in Hong Kong or being permitted to stay in Hong Kong under the Immigration Ordinance, Cap 115, and he is not in contravention of a limit of stay (if any) in force against him at the time of the incident.

Where the victim and the offender were living together as members of the same family at the time of the incident, compensation will only be payable under special circumstances.

(Note: In reckoning the three-year or the one-year period, the day on which the incident happens or the day of self-withdrawal or lost contact is excluded. If the last day of the period is a Saturday, a public holiday or a day during which typhoon warning signal no.8 or above or Black Rainstorm Warning signal is issued, the period shall include the next normal working day.)

Law Enforcement Injuries Compensation

Compensation may be claimed for any injury or death sustained in Hong Kong resulting from the use of a weapon by a law enforcement officer (i.e. any police officer or other public officer on duty) in the execution of his duty in connection with:

- an arrest or attempted arrest of a suspected offender or offender;
- the prevention or attempted prevention of an offence; and
- the giving of help to any police officer or other person who is engaged in arresting or attempting to arrest an offender or suspected offender or preventing or attempting to prevent an offence.

The Law Enforcement Injuries Compensation Board will only consider applications which satisfy the following conditions:

- the victim died from the incident; or the injury inflicted gave rise to at least three days' hospitalization or sick leave as certified by a registered medical practitioner/registered Chinese medicine practitioner;
- the circumstances of the injury or death were reported to the police without unreasonable delay;
- the applicant has given the Board all related information and reasonable assistance, particularly in relation to any medical reports which it may require;
- the claim for compensation has been made within three years (see note) of the date of the incident. Where the case of the first claim for compensation was closed due to self-withdrawal or lost contact, the applicant has made the second or subsequent claim either within three years of the date of the incident or within a year (see note) of the date of self-withdrawal or lost contact, whichever is later;
- the victim is a person having the right to stay in Hong Kong or being permitted to stay in Hong Kong under the Immigration Ordinance, Cap 115, and he is not in contravention of a limit of stay (if any) in force against him at the time of the incident; and
- if the victim is killed by a law enforcement officer, the applicant is regarded as a dependant within the definition of the Fatal Accidents Ordinance, Cap 22. (If he is not a dependant within this definition, his application will be considered by the Criminal Injuries Compensation Board.)

(Note: In reckoning the three-year or the one-year period, the day on which the incident happens or the day of self-withdrawal or lost contact is excluded. If the last day of the period is a Saturday, a public holiday or a day during which typhoon warning signal no.8 or above or Black Rainstorm Warning signal is issued, the period shall include the next normal working day.)

How to Apply

Application forms are available at the police stations, District Offices of the Home Affairs Department, or Medical Social Services Units, Social Security Field Units, and the CLEIC Section of SWD. Completed forms can be posted or handed to the CLEIC Section. Alternatively, they can be sent to that Section by fax or email.

CLEIC Section

Address : Room 703, 7/F, Wu Chung House, 213 Queen's Road East,
Wan Chai, Hong Kong.

Fax no. : 2575 7938

Email address : cleicenq@swd.gov.hk

Application forms can also be downloaded from the homepage of SWD at <http://www.swd.gov.hk>

How an Application is Processed

Where the criminal incident as stated by the victim or applicant has been confirmed by the police, the application will be processed. Before the appropriate Board considers an application, the Board's Secretariat will seek all relevant information about the case, including the facts of the incident and medical and social information on the victim for the consideration of the Board. The Secretariat will inform the applicant in writing of the Board's decision.

Discretionary power of the Boards

The Boards will decide whether to accept an application on the basis of the available evidence. Also, they have the power to increase or reduce the amount of compensation, or to reject the application, depending on the circumstances of the case.

Compensation received outside the scheme

Under the "no double compensation" principle, if an applicant receives damages or other compensation (including the employees' compensation) in respect of the same incident, the Boards will deduct such damages or compensation from the compensation payable under this scheme. In addition, beneficiaries who subsequently receive damages or other compensation outside the scheme for the same incident will be required to refund the payments they have received from the scheme, but in any case, the amount to be repaid shall not exceed the amount of damages or compensation received outside the scheme. Moreover, any increased award granted at the discretion of the Boards to "civic minded" applicants will not be repayable.